" हिंदी में पत्र व्यवहार कर देश का गौरव बढ़ाएं "

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED
(भारत सरका का उद्यम) (**A Government of India Enterprise**)Regd Office: Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodi Road New Delhi 110003Tele. 24365161 Fax 24360644 Email reccorp@recl.nic.in Gram RECTRICWebsite www.recindia.com & www.recindia.nic.in

संदर्भ सं. 2/10/2002-प्रशा/ दिनांक 20.4.2010

संलग्न सूची के अनुसार
(मानदंड पूरा करने वाले अन्य के लिए भी खुला)

विषय : कोरियर सेवाओं के लिए एजेंसियों का पैनल बनाना

महोदय,

निगम संलग्न टेंडर दस्तावेज की प्रति के अनुसार कोरियर सेवाओं के लिए एजेसियों का पैनल बनाने हेतु बोलियां आमंत्रित करता है।

बोलियां 10.05.2010 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त की जाएंगी और उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जाएगी।

भवदीय

ह./-
(जे.एस.कोहली)
उप प्रबंधक(प्रशा.)

संलग्नक: निविदा दस्तावेज

अनुबंध -1

कोरियर सेवा एजेंसी का पैनल

पूर्व अर्हता मानदंड एवं वित्तीय बोली

1. फर्म
   क) नाम ....
   ख) पंजीकृत पता ....
   ग) दिल्ली/एनसीआर में स्थित
      कार्यालय का पता ....
   घ) संपर्क सूत्र का. ....
      i) नाम एवं पदनाम
      ii) पता
      iii) टेलीफोन नं. लैंडलाइन ....मोबाइल ....
      iv) ई-मेल आईडी ....

2. फर्म का प्रकार प्राइवेट लि./सार्वजनिक लि./सहकारी/
   (कृपया इंगित करें) सहभागिता/मालिकाना

3. पैन/जीआईआर नं. ....
   (कृपया फोटोप्रति लगाएं)

4 वैट नं. ....
  (कृपया फोटोप्रति लगाएं)

5. सेवा कर पंजीकरण सं. ....
   (कृपया फोटोप्रति लगाएं)

6. कोरियर एजेंसी . ...

(निविदा दस्तावेज की धारा 8.1 के अनुसार प्राधिकृत एजेंट/प्रतिष्ठित एजेसियों में से किसी एक एजेंसी का अर्थात डीटीडीसी, फर्स्ट फलाइट, ब्लेजफ्लैश, स्काईलार्क एक्सप्रैस इत्यादि में से प्रैंचाइजी एजेंट का होना जरूरी है)

7. गत तीन वर्षों के दौरान उसी क्षेत्र में समान कार्य का अनुभव

(वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 के दौरान हर वर्ष कम से कम तीन सार्वजनिक/प्रा.लि.कंपनियों
में सेवा की हुई होनी चाहिए)

- कृपया इनमें से किसी एक दस्तावेजी सबूत की प्रति प्रस्तुत करें- वर्क आर्डर, ग्राहकों से संतोषजनक ढ़ंग से काम पूरा करने का प्रमाणपत्र, वर्क आर्डर का मूल्य दिखाते हुए।

8. ई.एम.डी. रुपए . ...
   डीडी/बीसी सं. ....

बैंक ....

प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर

<u>बोलीकर्ताओं की सूची</u>

1. मैसर्स आस्था इंटरनेशनल (फ्रैंचाइज- मैसर्स ट्रेकॉन कोरियर प्रा.लि.) एलजी तल -12, एनबीसीसी प्लेस, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
2. मैसर्स अरहान इंटरनेशनल (प्राधिकृत फ्रैंचाइजी मैसर्स ब्लेजफ्लेश कोरियर लि.) 51, बेसमेंट मस्जिद रोड, भोपाल, जंगपुरा, नई दिल्ली-110014

3. मैसर्स कुमार इंटरनेशनल (इंटरनेशनल कोरियर सर्विस) ब्रांच आफिस, सी-195, बेसमैंट, ग्रेटर कैलाश-।, नई दिल्ली-110048
4. मैसर्स स्काईलार्क एक्सप्रैस , बी-148, दयानन्द कालोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024
5. मैसर्स प्रोफैशनल कोरियर एंड कार्गो, जी-29, वर्धमान सिटी -।। प्लाजा, आसफ अली रोड, दिल्ली - 110002
6. मैसर्स फर्स्ट फ्लाईट कोरियर लि., 408, विशाल भवन, 95, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
7. मैसर्स ब्लेजफ्लैश कोरियर प्रा. लि., 1722/1,ऋषि नगर, गुरूद्वारा रोड, कोटला मुबारिकपुर, नई दिल्ली-110003
8. मैसर्स एम. के. पाटी ओवरसीज लि., एम-60, पालिका भवन, सेक्टर -13, आर.के.पुरम, नई दिल्ली
9. मैसर्स प्रोफैशनल कोरियर नेटवर्क लि., 14/4, एल.जी.एफ.,कालकाजी, देशबन्धु कालेज के नजदीक, नई दिल्ली-110019
10. मैसर्ज काइनेकि कोरियर सर्विस (पंजीकृत), एलबी-7, टोल्सटो हाऊस, 15-17, टोल्सटाय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
11. मैसर्स ऑन डॉट कोरियर एंड कार्गो लि., 1515, कोटला, पीटी कालेज के पीछे, वजीर नगर, नई दिल्ली-110003
12. मैसर्स श्री मारूति कोरियर सर्विस, 2/सी-145, लाजपत नगर-।।, रॉक्सी ट्राइक्लीनर के पीछे, नई दिल्ली-110024
13. मैसर्स वी.डॉट कोरियर सर्विस, एमबी-29, आंतरिक्ष भवन, के.जी. मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
14. मैसर्स प्रीफैक्स, 212, मसजिद मोड, साऊथ एक्स, नई दिल्ली-110049
15. मैसर्स एलबी एक्सप्रैस लि., 167-बी, अमृतपुरी गढ़ी, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली
16. मैसर्स एंजल इंटरप्राईजिज, 24-एल.जी. तल एनबीसीसी प्लेस, गेट-IV, (सांई बाबा मंदिर के सामने) लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
17. मैसर्स क्विक मेल सर्विस, 96, मेहरचन्द मार्किट, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
18. मैसर्स स्पैसिफिक इंटरनेशनल, 132-ए, सोमदत्त चैम्बर,-।,भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-11006
19. मैसर्स स्काई लार्क एक्सप्रैस, कोरियर प्रभाग, बी-5/202, द्वितीय तल, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

आरईसी के लिए कूरियर सेवा एजेंसी की इंपेनलमेंट संबंधी निविदा आमंत्रण सूचना

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन(आरईसी) लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम ब्लेज़फ्लेश कूरियर, डीटीडीसी, मैसर्स स्काइलाइन एक्सप्रेस, मैसर्स फर्स्ट फ्लाइट कूरियर्स, मैसर्स ओवरनाइट

एक्सप्रेस लिमिटेड आदि जैसी प्रतिष्ठित एजेंसियों की कूरियर सेवाओं के लिए दो वर्ष की अवधि हेतु **'मुहरबंद कोटेशन'** आमंत्रित करता है।

1.1 मुहरबंद बोली पर बोलीदाता संगठन की ओर से विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और निम्नलिखित अधिकारी को भेजी जाएगी:-

श्री ए.के. अरोड़ा,
उप महाप्रबंधक (प्रशासन),
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
नई दिल्ली-110003

2.1 मुहरबंद बोलियां आरईसी द्वारा दिनांक 10.05.2010 को 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त की जाएंगी। निर्धारित समय-सीमा के बाद आरईसी में प्राप्त कोई भी बोली रद्द कर दी जाएगी/ उस पर विचार नहीं किया जाएग, भले ही उसकी दरें कुछ भी हों।

2.2 ये बोलियां दिनांक 10.05.2010 के 4.00 बजे अपराह्न में फर्मों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी।

3. बोली दस्तावेजों के साथ 5,000/- रुपए की अग्रिम धन राशि लगाई जानी चाहिए। यह अग्रिम धन राशि राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से अदा किया जाएगा, जो रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में हो। यदि किसी बोली के साथ विधिमान्य अग्रिम धन जमा राशि न लगाई गई हो, तो उसे आरईसी द्वारा अमान्य समझा जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा।

3.1 यदि कोई बोलीदाता बोली की विधिमान्यता की अवधि के दौरान अपनी बोली को वापस लेता है, तो उसकी अग्रिम धन जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

3.2 सफल बोलीदाता की अग्रिम धन जमा प्रतिभूति के रूप में संविदा के कार्य-निष्पादन के लिए रख ली जाएगी।

4. यह बोली, बोली की प्राप्ति की तारीख से 45 दिन की अवधि तक विधिमान्य रहेगी।

5. डाक दैनिक आधार पर आरईसी के प्राधिकृत अधिकारियों के अनुरोध पर अपवादस्वरूप किन्हीं मामलों में देर शाम तक आरईसी के स्कोप भवन, लोदी रोड से और पालिका भवन, आरके पुरम, नई दिल्ली से उठाई जाएगी।

6. दर और कीमत

6.1 बोलीदाता अनुबंध-1 में उल्लिखित विभिन्न स्थानों की कूरियर सेवा के लिए मद-वार दर/ कीमत का उल्लेख करेगा।

6.2 सभी कानूनी शुल्क और कर (जिसमें उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क भी शामिल है), बिक्री कर और अन्य प्रभार बोलीदाता द्वारा अदा किए जाएंगे। लेकिन यदि टेंडर बंद होने की तारीख से करों में कोई घट-बढ़ होती है, तो उसकी अदायगी आरईसी द्वारा की जाएगी।

6.3 उल्लिखित दरें सुनिश्चित होंगी और प्रस्ताव की विधिमान्यता की अवधि के दौरान दरों, कीमतों या शर्तों में कोई अंतर करने से अग्रिम धन जमा जब्त कर ली जाएगी।

7. आपूर्ति/कार्य में विलंब के लिए दंड

7.1 समय, संविदा का सार है। सफल बोलीदाताओं को चाहिए कि वे निर्धारित समय-सीमा के अंदर माल की सप्लाई करें। निर्धारित तारीख को या उससे पहले माल की सप्लाई न कर पाने से प्रतिदिन संविदा की पैकेज कीमत के मूल्य के 0.5 प्रतिशत के बराबर दंड लगाया जाएगा। लेकिन यह दंड अधिक से अधिक कुल संविदा मूल्य के 5 प्रतिशत तक लगाया जाएगा।

यदि निर्धारित समायवधि के पांच दिन के बाद आदेश के अनुपालन में विलंब होता है, तो आरईसी को यह अधिकार होगा कि वह इस आदेश को रद्द कर दे।

8. पूर्व योग्यता मापदंड

8.1 बोलीदाता को प्रतिष्ठित एजेंसियों का प्राधिकृत एजेंट/फ्रैंचाइजी होना चाहिए, जो भारत में फैले हों/सेवा दे रहे हों। ये प्रतिष्ठित एजेंसियां है मैसर्स ब्लेज फ्लेश, मैसर्स डीटीडीसी, मैसर्स फर्स्ट फ्लाइट कूरियर, स्काइलार्क एक्सप्रेस, मैसर्स ओवरनाइट एक्सप्रेस लिमिटेड आदि।

8.2 बोलीदाता ने वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान प्रति वर्ष 3 प्रतिष्ठित सरकारी/प्राइवेट लिमिटेड में इसी प्रकार की सेवा की हो।

9. मूल्यांकन का मापदंड

9.1 न्यूनतम समेकित औसत मूल्य का उल्लेख करने वाला बोलीदाता संविदा अवार्ड के लिए योग्य होगा।

10. अदायगी की शर्तें

10.1 बिल की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर और आरईसी के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संतोषजनक सेवा का प्रमाण देने पर मासिक आधार पर अदायगी की जाएगी।

11\. सुलह/ माध्यस्थम

11.1 यदि पक्षकारों के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद या मतभेद पैदा हो जाता है या हो जाते हैं, तो ये पक्षकार बातचीत करके इसका सौहार्दपूर्ण समाधान निकालेंगे और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी द्वारा नामित समिति के माध्यम से इसका निपटान करेंगे।

11.2 यदि किसी एक पक्षकार से नोटिस प्राप्त होने के बाद तीस दिन के अंदर पक्षकारों के बीच कोई सौहार्दपूर्ण समाधान या निपटान नहीं हो पाता है, तो उपर्युक्त विवाद या मतभेद को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी द्वारा नामित एकमात्र मध्यस्थम को भेजा जाएगा और उसके द्वारा इसका निपटान किया जाएगा।

11.3 माध्यस्थम के संबंध में किसी विवाद या मतभेद और/या संदर्भ के बावजूद ठेकेदार इस संविदा के अधीन कार्य का निष्पादन बिना किसी रुकावट के करता रहेगा और उसे जारी रखेगा। वह अपना काम पूरे परिश्रम से और व्यावसायिक रूप में तत्परता से करता रहेगा और ठेकेदार को देय अदायगी तब तक रोकी नहीं जाएगी जब तक अदायगी ही मध्यस्थता का विषय न हो।

11.4 माध्यस्थम की कार्रवाई विद्यमान मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 और यथासंशोधित भारत के कानूनों या समय-समय पर बनाए गए अधिनियमों के अनुसार की जाएगी।

11.5 माध्यस्थम का स्थान नई दिल्ली, भारत होगा। माध्यस्थम का शुल्क और अन्य प्रभार इस अधिनियम के अनुसार माध्यस्थम द्वारा तय किए जाएंगे और उसका वहन पक्षकारों द्वारा बराबर बराबर किया जाएगा।

11.6 माध्यस्थम स्पष्ट और उचित निर्णय देगा। पक्षकार इस बात के लिए हकदार नहीं हैं कि वे माध्यस्थम की कार्रवाई के दौरान विलंब के लिए किसी ब्याज की मांग करें।

12. किसी वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. यदि बोली में कोई कांट-झांट की गई हो, तो उस बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और उस बोली को बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया जाएगा।

14. आरईसी को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए बोलियों के इस आमंत्रण को रद्द करने का निर्णय ले सकता है/ वापस लेने का निर्णय ले सकता है ।

15. आरईसी को अधिकार है कि वह बोली की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार और बिना किसी देयता के दिए गए आदेश को रद्द कर सकता है। वह इसके लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का देनदार नहीं होगा।

16. यदि दस्तावेजों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित हो, तो उसे निम्नलिखित पते से प्राप्त किया जा सकता है

उप महाप्रबंधक (प्रशासन),
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
नई दिल्ली-110003
दूरभाष सं. 43091516/24366921

उप महाप्रबंधक (प्रशासन),
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
नई दिल्ली-110003
दूरभाष सं. 43091625

संदर्भ सं. 2/10/2002/प्रशा./डिस्पैच/

दिनांक:

ह./-
उप-महाप्रबंधक (प्रशासन)
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

संलग्न : अनुबंध 1

9. वित्तीय बोली

क्रम सं.	शहर का नाम	कोट की गई दर (रू.)				औसतर
		250 ग्राम तक	250 से 500 ग्राम 1 कि.ग्रा.तक	500ग्राम से अधिक	1किलो ग्राम से अधिक (प्रति कि. अथवा उसका भाग	जोड़ iii-vi/4)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
1.	हैदराबाद					
2.	तिरूवनंतपुरम					
3.	बेंगलूर					
4.	चेन्नै					
5.	शिलांग					
6.	गुवाहाटी					
7.	कोलकाता					
8.	भुवनेश्वर					
9.	जम्मू					
10.	मुबंई					
11.	भोपाल					
12.	पटना					
13.	लखनऊ					
14.	जयपुर					
15.	रांची					
16.	चंडीगढ़					
17.	शिमला					

18.	वडोदरा					
19.	जबलपुर					
20.	देहरादून					
21.	इटानगर					
22.	एनसीआर, अर्थात गुडगांव,फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा आदि					
23.	औसतन दर (सम 1-22/22)					

निविदा दस्तावेज में निहित नियम एवं शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं।

प्राधिकारी के हस्ताक्षर
मोहर सहित